भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1330
दिनांक 30.07.2024 को उत्तरार्थ

जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाएं

1330. डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को दी गई शक्तियों के क्षेत्राधिकार में कौन से विभाग शामिल हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत विशेष रूप से क्या नियम बनाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री
(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243क के संदर्भ में, ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाए| तदनुसार, राज्यों ने ग्राम सभाओं, जिनमें जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम सभाएं भी शामिल हैं, को शक्तियां और कार्य प्रदान करने के लिए अपने-अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रावधान किए हैं। ग्राम सभा की ये शक्तियाँ और कार्य अलग -अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं।

"पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996" (संक्षेप में पेसा अधिनियम) को, अधिनियम में दिए गए अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारित करने के लिए, अधिनियमित किया गया है| संविधान के अनुच्छेद 243क के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं पर भी लागू होते हैं। इसके अलावा, पेसा अधिनियम के तहत नियम बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को मॉडल पेसा नियम प्रसारित किए हैं।

****